

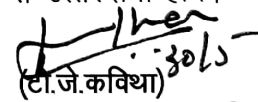
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: एफ 21(9)2025-26/विकास/प्रमुखसं/ 1376 दिनांक 30/05/25
कार्यालय आदेश

मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2025-26 मिशन "हरियालो राजस्थान" को सफल बनाने के लिये राज्यव्यापी प्रचार-प्रसार के लिये दो से तीन प्रचार-प्रसार की विभिन्न गतिविधियों जैसे नुक्कड़ नाटक, पेन्टिंग्स प्रतियोगिताएँ, कठपुतली नृत्य, रैली इत्यादि आयोजन हेतु राज्य वन विकास अभिकरण के बैंक खाते में पौध वितरण से प्राप्त आय से वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है। आपसे अनुरोध है कि बजट प्राप्ति के 7 दिवस में आप उक्त बजट संबंधित कार्यालयों को आवंटित कर इस कार्यालय को भी सूचित करावें।

क.सं.	मुख्य वन संरक्षक	आवंटित राशि (रु.लाखों में)
1	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	8.00
2	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	8.00
3	मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर	5.00
4	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर	5.00
5	मुख्य वन संरक्षक, अजमेर	5.00
6	मुख्य वन संरक्षक, कोटा	5.00
7	मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर	8.00
8	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर	1.00
	योग:-	45.00

कृपया आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित कराये:-

1. उक्त आवंटन में यदि बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें।
2. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
3. बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमों/आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओं के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

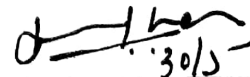

(टी.जे.कविथा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(9)2025-26/विकास/प्रमुखसं/ 1377-1390
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

दिनांक 30/05/25

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर
2. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/उदयपुर/भरतपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/जोधपुर/वन्यजीव, उदयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर
4. प्रभारी, राज्य वन विकास अभिकरण को देकर लेख है कि मुख्य वन संरक्षकगणों द्वारा बजट आवंटन उपरान्त संबंधित वन मण्डलों को आवंटित राशि हस्तान्तरित करवाना सुनिश्चित करें।
5. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलित शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा वेबसाईट पर अपलोड हेतु।


30/5

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)
राजस्थान, जयपुर